MORMUGAO PORT AUTHORITY GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Ref.No.GAD/PC-B/1(15)/2023/ 03050

Date: 10/11/2023

ADDENDUM No. 4 TO OFFICE ORDER No. 13/2023

Sub: Acceptance of notices of the employees for voluntary retirement under Special Voluntary Retirement Scheme.

Ref. No :1) GAD/PC-B/1(15)/ 2023/02232 dated 25.08.2023.

- 2) GAD/PC-B/1(15)/2023/02285 dated 31.08.2023.
- 3) GAD/PC-B/1(15)/2023/02501 dated 15.09.2023.
- 4) GAD/PC-B/1(15)/2023/02513 dated 15.09.2023.

In continuation to Office Order referred at SI.No. 1 read with three Addendums referred at SI. No. 2 to 4, the Chairperson, in terms of the authority delegated to him by the Board vide its Resolution No. 180 dated 03.08.2023, has accepted the notice for voluntary retirement given by the following employee under Special Voluntary Retirement Scheme introduced in this Port vide Office Order No. 03/2023 under Ref.No. GAD/PC-B/3(1)/2023/00376 dated 21.03.2023 on the terms and conditions stipulated in the 'Standard Guidelines' issued by the Ministry vide letter No. LB-16016/4/2014-L dated 13th November, 2020, as per the approval communicated by the Ministry of Ports, Shipping & Waterways vide letter No. LB-16016/4/2021-L dated 15.03.2023, subject to the condition that he shall not apply for commutation of pension before the expiry of the period of notice of three months:

BENEFICIAL TO THE PORT									
SI. No.	EMP. No.	Name of employee	Designation	Date of Notice	Post to be abolished				
1	2	3	4	5	6				
	MEDICAL DEPARTMENT								
56	155779	Shri Stanley T. Menezes	Sr. Laboratory Technician	18.09.2023	Sr. Laboratory Technician				

- 2. Accordingly, the above named employee is relieved from the services of the Board with effect from 10th November, 2023 (AN).
- 3. The post of Sr. Laboratory Technician which will render vacant in Medical Dept. as a result of SVRS w.e.f. 11.11.2023, shall be abolished and shall not be eligible for revival in any case nor will be accounted for the purpose of computation of any matching savings while creating posts, if any, in future. The above said post will be deleted from the schedule of staff.
- 4. The above named employee shall not be eligible for re-employment in Ports and it may be ensured that he shall not be re-employed in the Port. However, there will be no bar for re-employment in Government Sector.

- 5. Shri Menezes is further directed to hand-over whatever Port property/articles in his possession, to the concerned authorities before relinquishing the charge of the post.
- 6. The Memorandum No. GAD/PC-B/1(15)/2023/02657 dated 06.10.2023 issued to Shri Menezes in this regard stands withdrawn.
- 7. This issues with the approval of the Competent Authority.

(SU). Mohan Kumar) SECRETARY

Copy to: 1. Chairperson's table.

- 2. Dy. Chairperson's table.
- 3. All HODs ... for information.
- 4. Shri Stanley Menezes, Sr. Lab. Technician Thro: CMO/MPA.
- 5. Estb. Officer/Paybill Section/Finance Dept. .. For necessary action
- 6. Establishment Officer/PC-A Section ... For necessary action
- 7. Asst. Engineer (P.R. Cell)/GAD ... For necessary action
- 8. Asst. Director (EDP) To upload the Office Order on MPA Website. A
 Complete data/record of the above mentioned
 employee shall be retained on the website to ensure
 that he shall not be re-employed in the Port
- 9. The President, M.P.T. Officers' Association.
- 10. The President, Goa Port & Dock Employees' Union.
- 11. The President, Mormugao Port & Railway Workers' Union.

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण सामान्य प्रशासन विभाग

संदर्भ संख्या: जीएडी/पीसी-बी/1(15)/2023/ 🔾 3 05 0

दिनांक: 10/11/2023

कार्यालय आदेश सं. 13/2023 का परिशिष्ट सं. 4

विषय: विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारियों की नोटिस की स्वीकृति

संदर्भ सं. 1) जीएडी/पीसी-बी/1(15)/2023/02232 दिनांक 25.08.2023

- 2) जीएडी/पीसी-बी/1(15)/2023/02285 दिनांक 31.08.2023
- 3) जीएडी/पीसी-बी/1(15)/2023/02501 दिनांक 15.09.2023
- 4) जीएडी/पीसी-बी/1(15)/2023/02513 दिनांक 15.09.2023

क्रम संख्या 2 से 4 में संदर्भित तीन परिशिष्टों के साथ पठित , क्रम संख्या 1 में संदर्भित कार्यालय आदेश के क्रम में, अध्यक्ष ने मंडल द्वारा संकल्प संख्या 180 दिनांक 03.08.2023 के तहत उन्हें सींपे गए अधिकार के अनुसार मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एलबी-16016/4/2014-एल दिनांक 13 नवंबर, 2023 के तहत जारी 'मानक दिशानिर्देशों' में निर्धारित नियमों और शर्तों पर, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एलबी-16016/4/2021-एल दिनांक 15.03.2023 द्वारा सूचित अनुमोदन के अनुसार संदर्भ संख्या जीएडी/पीसी-बी/3(1)/2023/00376 दिनांक 21.03.2023, के अधीन कार्यालय आदेश संख्या 03/2023 के तहत इस पत्तन में शुरू की गई विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत निम्नलिखित कर्मचारी द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस स्वीकार कर ली है बशर्तें कि वह तीन महीने की नोटिस की अविध समाप्त होने से पहले पेंशन के रूपान्तरण के लिए आवेदन नहीं करेंगे :

l- पत्तन के लिए लाभदायी									
क्र.सं.	ईएमपी सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नोटिस की	समाप्त किया				
1	2	3		तारीख	जानेवाला पद				
	चिकित्सा	विभाग	4	5	6				
1	155779	श्री स्टेनली टी . मिनेजिस	वरिष्ठ प्रयोगशाला	18.09.2023	वरिष्ठ प्रयोगशाला				
			तकनीशियन		तकनीशियन				

- 2. तदनुसार, उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 10 नवम्बर, 2023 (अपराहन) से बोर्ड की सेवाओं से कार्यमुक्त किय़ा जाता है।
- 3. एसवीआरएस के परिणामस्वरूप चिकित्सा विभाग में दिनांक 11.11.2023 से रिक्त होने वाले विरष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन का पद समाप्त कर दिया जाएगा और किसी भी मामले में यह पद न ही पुनःसृजन के लिए पात्र होगा और न ही भविष्य में पद का सृजन, यदि करना हो, तो उस समय किसी भी मैचिंग सेविंग के प्रयोजन के लिए विचारार्थ लिया जाएगा। उपरोक्त पद को स्टाफ की सूची से हटा दिया।

- 4. उपरोक्त कर्मचारी पत्तनों में पुन: रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनमें से कोई भी व्यक्ति को पत्तन में पुन: नियोजित नहीं किया जाता है। हालाँकि, ऐसे कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में पुन: रोजगार पर कोई रोक नहीं होगी।
- 5. श्री मिनेजिस को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे पद का कार्यभार छोड़ने से पहले पत्तन की संपति/वस्तुएं, जो भी उनके कब्जे में हैं, संबंधित अधिकारियों को सौंप दें।
- 6. श्री मेनेजिस को इस संबंध में जारी किया गया जापन संख्या जीएडी/पीसी-बी/1(15)/2023/02657 दिनांक 06.10.2023 वापस लिया जाता है।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस. पी. मोहन कुमार) सचिव

प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष के पटल हेतु

- 2. उपाध्यक्ष के पटल हेतु
- 3. सभी विभागाध्यक्ष... सूचना हेतु।
- 4. श्री स्टेनली टी . मिनेजिस, वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन.... द्वारा सीएमओ/एमपीए
- 5. स्थापना अधिकारी/पेबिल अनुभाग/वित विभाग...आवश्यक कार्रवाई हेतु
- 6. स्थापना अधिकारी/पी.सी.-ए अनुभाग...आवश्यक कार्रवाई हेतु
- 7. सहा. इंजीनियर (पी.आर. .कक्ष)/जीएडी...आवश्यक कार्रवाई हेतु
- 8. सहा. निदेशक (ईडीपी)... कार्यालय आदेश एमपीए वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु । उपर्युक्त कर्मचारी का डेटा/रिकॉर्ड वेबसाइट पर रखा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हे पत्तन में पुन: नियोजित नहीं किया जाता है ।
- 9. अध्यक्ष, एम.पी.टी. अधिकारी संघ.
- 10.अध्यक्ष, गोवा पत्तन एवं गोदी कर्मचारी संघ
- 11. अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन एवं रेलवे श्रमिक संघ